राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या: 64/2019

1–हेता पुत्र गुलाबसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1–अजमेरसिंह पुत्र कलुआ जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली 2–रामबेटी पुत्री कलुआ पत्नी राकेश जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल निवासी श्यामो तहसील व जिला आगरा उ0प्र0 3–नरेश 4–कृष्णा पुत्रगण श्यामा जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली 5–हरिवेजी पुत्री श्यामा पतनी पप्पू 6–रजनी पुत्री श्यामा पत्नी रमन जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम जारौली तहसील सैपऊ हाल निवासी भूरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 7–सुनीता देवी पत्नी अजमेरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 8–नत्था पुत्र मनोहर जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ....असल प्रतिवादीगण

9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर .... तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपस्थिति – 1–श्री विष्णुकुमार कुशवाह एडवोकेट............... (वादी)
2–श्री गिरीश व्यास एडवोकेट ....(प्रतिवादीगण)

दिनांक 07.04.2022

निर्णय

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खाता संख्या 23 के आराजी खसरा नम्बर 703 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा स्थित वाकेग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की ओर से श्री गिरीश व्यास एडवोकेट जरिये वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित हुये। गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 14.07.2021 को दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2019/287 दिनांक 07.10.2020 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा असहमति जाहिर की परन्तु लिखित में कोई ऐहतराज प्रस्तुत नहीं किया है इस बाबत् विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा विद्वान वादी अभिभाषक द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम जारौली पटवार हल्का पिपहेरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:-

1-हेता पुत्र गुलाब हिस्सा 1/3 अजमेरसिंह पुत्रान व रामबेटी पुत्री पिसरान कलुआ हिस्सा 1/3 नरेश, कृष्णा पुत्रान व हरिवेजी, रजनी पुत्रीयान पिसरान श्यामा हिस्सा 1/3 जाति लोधा सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	703/1	0.2086	नहरी प्रथम
योग	किता-1	रकवा-0.2086 हैक्टेयर	

2-नत्था पुत्र मनोहर हिस्सा 13/33 सुनीता देवी पत्नी अजमेरसिंह हिस्सा 20/33 जाति लोधा सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	703/2	0.2085	नहरी प्रथम
योग	किता-1	रकवा- 0.2085 हैक्टेयर	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उप जिला कलक्टर
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अदालत – उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर
इजलास –ललित मीना (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या: 64/2019

1–हेता पुत्र गुलाबसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर
............वादी

बनाम

1–अजमेरसिंह पुत्र कलुआ जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली 2–रामबेटी पुत्री कलुआ पत्नी राकेश जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल निवासी श्यामो तहसील व जिला आगरा उ0प्र0 3–नरेश 4–कृष्णा पुत्रगण श्यामा जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली 5–हरिवेजी पुत्री श्यामा पतनी पप्पू 6–रजनी पुत्री श्यामा पत्नी रमन जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम जारौली तहसील सैपऊ हाल निवासी भूरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 7–सुनीता देवी पत्नी अजमेरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 8–नत्था पुत्र मनोहर जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ....असल प्रतिवादीगण

9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विष्णुकुमार कुशवाह एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री गिरीश व्यास एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम जारौली पटवार हल्का पिपहेरा तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–हेता पुत्र गुलाब हिस्सा 1/3 अजमेरसिंह पुत्रान व रामबेटी पुत्री पिसरान कलुआ हिस्सा 1/3 नरेश, कृष्णा पुत्रान व हरिवेजी, रजनी पुत्रीयान पिसरान श्यामा हिस्सा 1/3 जाति लोधा सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	703/1	0.2086	नहरी प्रथम
योग	किता–1	रकवा–0.2086 हैक्टेयर	

2–नत्था पुत्र मनोहर हिस्सा 13/33 सुनीता देवी पत्नी अजमेरसिंह हिस्सा 20/33 जाति लोधा सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	703/2	0.2085	नहरी प्रथम
योग	किता–1	रकवा– 0.2085 हैक्टेयर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता ...म किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित ...सरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.04.2022 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ